न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, बलिया।

सत्र परीक्षण संख्या 590/2022

उ०प्र०राज्य.....बनाम..... जयशंकर व अन्य

निस्तारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं०

दिनांकः 03–05–2025

पत्रावली आज इस प्रकरण के वादी मुकदमा अनिल यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 63 ख अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० पर आदेश हेतु नियत है, पेश हुई।

(1)– वादी मुकदमा अनिल यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के माध्यम से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० में संक्षेप में वादी का कथन है कि "उपरोक्त सत्र परीक्षण के प्रथम सूचना रिपोर्ट के नामित अभियुक्त मोतीलाल यादव पुत्र स्व० भगवान यादव साकिन अखोप बभनियाँव, थाना उभांव, जिला बलिया के विरूद्ध मु०अ०सं० 70/22 के विवेचक द्वारा अभियुक्त के साजिश में होकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र नहीं दिये है। प्रार्थी/वादी मुकदमा का न्यायालय में दिनांक 24–11–2023 को तथा अभियोजन साक्षी सं०–2 संजय यादव पुत्र श्री हरिशंकर यादव का साक्ष्य दिनांक 15–05–2024 एवं पी०डब्लू०–3 संध्या देवी पत्नी परशुराम यादव का साक्ष्य(मुख्य परीक्षा) दिनांक 05–09–2024 को हुआ है, जिसमें मुझ प्रार्थी के अलावा दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान में अभियुक्त मोतीलाल यादव का नाम अपराध कारित करने में आया है। उक्त अभियुक्त मोतीलाल यादव के ललकारने पर ही कि साले को जान से मार दो, पर अभियुक्त रविन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिये फरसे से योगेन्द्र यादव (मृतक) के शरीर पर वार किया गया, जिसके पॉश से योगेन्द्र यादव के सिर पर चोट आने से सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर गये तथा दौरान ईलाज योगेन्द्र यादव की मृत्यु हो गयी। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि उपरोक्त मोतीलाल यादव सक्रिय रूप से घटना के दिनांक 30–04–2022 को घटना के समय घटना कारित करने में थे। फलस्वरूप न्यायहित में धारा–319 सी०आर०पी०सी० में निहित शक्तियों का प्रयोग कर अभियुक्त मोतीलाल यादव को विचारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है, क्योंकि अभियुक्त मोतीलाल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने का तथा दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः धारा–319 दं०प्र०सं० में निहित शक्तियों का प्रयोग कर अभियुक्त मोती लाल यादव को विचारण हेतु तलब किये जाने का अनुरोध किया है।"

(2)– इस प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति – 71 ख दाखिल करते हुए वादी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि विचारण के इस अभियुक्त सुरेन्द्र यादव को प्रार्थना पत्र धारा–319 दं०प्र०सं० पर लिखित आपत्ति देने का अधिकार ही नहीं है। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के तथ्यों का भी अवलोकन किया है।

(3)– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 63 ख पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

(4)– मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा अनिल यादव के द्वारा थानाध्यक्ष थाना उभांव जनपद बलिया को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि "आज दिनांक–30–04–2022 को समय लगभग 11:00 ए०एम० विपक्षीगण सुरेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव व मोतीलाल यादव पुत्रगण स्व० श्री भगवान यादव,

Digitally signed by PRAMOD KUMAR GANGWAR
Date: 2025.05.05 14:25:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जयशंकर पुत्र सुरेन्द्र यादव व विनोद पुत्र रविन्द्र यादव व सोनिया देवी पत्नी रविन्द्र यादव निवासीगण अखोप (बभनियाँव) लाठी डण्डा तथा धारदार हथियार से लैस व गोलबन्द होकर प्रार्थी की भूमि आ०नं० 745 को हड़पने की नियत से उसमे छप्पर डालने का प्रयास करने लगे जिसके लिए मुझ प्रार्थी ने मना किया तो विपक्षीगणों ने माँ बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए प्रार्थी को बूरी तरह से मारने पीटने लगे। प्रार्थी की शोर पुकार सुनकर मेरे दादा योगेन्द्र यादव पुत्र स्व० सत्यदेव यादव बचाव हेतु आये, जहां शेष विपक्षीगणों के ललकारने पर विपक्षी रविन्द्र यादव उपरोक्त ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार (फरसा) से दादा जी के सर पर जानलेवा प्रहार किया, जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर गये और सभी विपक्षीगण उपर लाठियों से प्रहार करते रहे तथा उनको मरा समझ कर जाते समय हथियार लहराते हुए पुलिस में खबर देने पर जान से मारने व पुरे परिवार को फर्जी मुकदमे मे फसाने की धमकी दिये। विपक्षी के जाने के बाद हम लोग मौके पर मरणासन्न व बेहोश अवस्था में पडे योगेन्द्र पुत्र सत्यदेव को लेकर समुदायिक स्वास्थ केन्द्र सीयर पहुचे, जहाँ उपस्थित चिकित्सक ने गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया उनका इलाज चल रहा है। ऐसी दशा में विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कर उचित दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

(5)– वादी अनिल यादव की उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 70/22 अन्तर्गत धारा 147,148,149,323,504,506,308 भा०दं०सं० थाना उभांव जनपद बलिया पर दिनांक 30–04–2022 को समय 19.42 बजे नामित अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव, मोतीलाल यादव, जयशंकर यादव, विनोद एवं सोनिया देवी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

(6)– इस प्रकरण के विवेचक के द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 26–06–2022 न्यायालय में प्रेषित किया, जिसमें विवेचक ने यह निष्कर्ष अंकित किया कि अभियुक्त मोतीलाल यादव की सी०डी०आर० लोकेशन, स्वतन्त्र गवाहों के बयान व अन्य बयान के आधार पर विवेचना में नामजदगी गलत पायी गयी, अब तक की तमामी तफ्तीश बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन पीएम रिपोर्ट व पंचायतनामा, बयान डॉक्टर व अन्य साक्ष्य व सबूत के आधार पर अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव, जयशंकर, विनोद एवं सोनिया देवी के विरूद्ध जुर्म धारा–147, 148, 149, 323, 504,506,308,304 भा०दं०सं० का अपराध बखूबी साबित होता है। अतः इन अभियुक्तगणों का चालान करते हुए आरोप पत्र संख्या–91/22 दिनांक 26–06–2022 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7)– इस आरोप पत्र पर अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त श्री हरिश्चन्द्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया ने कमिटल आदेश दिनांक 23–08–2022 से इस मामले को सत्र सुपुर्द किया गया एवं इस पत्रावली पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 20–09–2022 को धारा–147, 148, 323/149, 308/149, 304/149, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध का आरोप विरचित करते हुए पत्रावली अभियोजन के साक्ष्य हेतु नियत की गयी। अभियोजन के द्वारा मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी 1–अनिल यादव उर्फ शैलेन्द्र, अभियोजन साक्षी 2– संजय यादव, अभियोजन साक्षी 3– सन्ध्या देवी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है।

(8)– मैंने इस प्रकरण की एफ०आई०आर०, केस डायरी, अभियोजन साक्षीगण के कथनों, चिकित्सीय प्रलेखों तथा अन्य प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

(9)– पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त संख्या–3 के रूप में अभियुक्त मोतीलाल

यादव को नामित किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी का संक्षेप में यह कथन है कि आज दिनांक 30–04–22 को समय लगभग 11:00 ए०एम० पर सुरेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव व मोतीलाल यादव, जयशंकर व विनोद व सोनिया देवी निवासीगण अखोप (बभनियाँव) लाठी डण्डा तथा धारदार हथियार से लैस व गोलबन्द होकर उसकी भूमि आ०नं०–745 को हड़पने की नियत से उसमे छप्पर डालने का प्रयास करने लगे जिसके लिए जब उसने मना किया तो विपक्षीगणों ने माँ बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए उसको को बुरी तरह से मारने पीटने लगे, वादी का शोर पुकार सुनकर दादा योगेन्द्र यादव बचाव हेतु आये, शेष विपक्षीगणों के ललकारने पर विपक्षी रविन्द्र यादव उपरोक्त ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार फरसा से दादा जी के सर पर जानलेवा प्रहार किया, जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर गये और सभी विपक्षीगण उपर लाठियों से प्रहार करते रहे तथा उनको मरा समझ कर जाते समय हथियार लहराते हुए पुलिस में खबर देने पर जान से मारने व पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे मे फंसाने की धमकी दिये। विपक्षी के जाने के बाद हम लोग मौके पर मरणासन्न व बेहोश अवस्था में पडे योगेन्द्र पुत्र सत्यदेव को लेकर समुदायिक स्वास्थ केन्द्र सीयर पहुचे, जहाँ चिकित्सक ने गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया उनका इलाज चल रहा है।

(10)– इस प्रकरण में उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हो जाने के पश्चात् वादी आगंतुक अनिल कुमार यादव के थाना उभांव जनपद बलिया में उपस्थित आकर एक किता प्रार्थना पत्र लिखित दस्तखत खुद के दिनांक 03–05–2022 बावत दिनांक 30–04–2022 को ही मारपीट में **घायल खुद के दादा योगेन्द्र यादव की दौरान ईलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र का विवरण थाने की सामान्य दैनिकी विवरण रोजनामचा संख्या–33 दिनांक 03–05–2022 समय 23.20 बजे** में समावेशित किया गया है, जिसमें आगंतुक अनिल कुमार के द्वारा उपरोक्त लोगों के द्वारा उसके दादा को सिर पर गम्भीर चोट पहुचाये जाने पर उनका ईलाज बी०एच०यू० ट्रामा सेण्टर में चलने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने तथा उनका पोस्टमार्टम थाना लंका की पुलिस के द्वारा कराये जाने की सूचना उल्लिखित की गयी है।

(11)– इस प्रकरण के विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान मजरूब योगेन्द्र यादव का जिला अस्पताल बलिया में पहुंचकर मजरूब के सिर में गम्भीर चोट होने का तथ्य अंकित करते हुए बयान मजरूब योगेन्द्र यादव अंकित किया गया है, जिसमें उसने अभियुक्तगण द्वारा अपने पोते को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने तथा शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर बीच–बचाव करने के प्रयास में उसके सिर पर जोर से किसी भारी चीज से मारने के कारण मौके पर बेहोश हो जाने तथा जब उनको थोड़ा होश आया तो वह सरकारी अस्पताल सीयर में होने तथा उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिये जाने का कथन किया है। चोटहिल योगेन्द्र यादव की मेडिकोलीगल रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध है। वादी मुकदमा अनिल यादव ने अपने कथन धारा धारा–161 दं०प्र०सं० में तहरीर कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त मोतीलाल यादव की संलिप्तता का स्पष्ट कथन किया है। एफ०आई०आर० लेखक एच०सी० दिनेशचन्द्र कौशिक द्वारा भी किता की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त मोतीलाल यादव का नाम उल्लिखित होने के तथ्य की पुष्टि की है तथा स्वयं विवेचक ने उपरोक्त साक्ष्य केस डायरी पर अंकित करने के उपरान्त अभियुक्त के घर पर सभी लोगों के भागने, कोई मौजुद न होने तथा घर पर ताला लगा होने का तथ्य उल्लिखित किया है। केस डायरी पर मजरूब योगेन्द्र यादव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मूल पर्ची जिला अस्पताल बलिया के मेडिकोलीगल रिपोर्ट तथा ट्रामा सेण्टर बी०एच०यू० के ओ०पी०डी० स्लिप को केस डायरी पर लेखबद्ध करते हुए साक्षी दयाशंकर यादव, डॉ० लालचन्द्र शर्मा लेखबद्ध किये है तथा मृतक योगेन्द्र यादव का पंचायतनामा, थाना लंका की जी०डी०, पी०एम० रिपोर्ट

एन०सी०सी०टी० हैड़ रिपोर्ट को केस डायरी पर अंकित किया है तथा अभियुक्त मोती व सोनिया देवी की तलाश करने पर उनके घर पर मौजूद न होना, सी०डी०–11 में अंकित किया गया है। विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०–12 में साक्षी संध्या यादव, मंसा यादव, संजय यादव. पंचायतनामाकर्ता उपनिरीक्षक सुधाकर प्रसाद, कां० सम्हारू गुप्ता, पोस्ट मार्टम चिकित्सक डॉ० शशिभूषण उपाध्याय का लेखबद्ध करते हुए केस डायरी के पर्चा सं०–14 में अभियुक्त सोनिया देवी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तारी किया जाना अंकित किया है। विवेचक ने पंचायतनामा के गवाहों के कथन धारा–161 दं०प्र०सं० भी केस डायरी पर लेखबद्ध किये है।

(12)– विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०–17 में अभियुक्त मोतीलाल यादव के मोबाईल नंबर की आई०डी० निधि यादव के नाम से लिये जाने, उक्त मोबाईल नम्बर 8009334771 का अंकन करते हुए कुछ शपथ पत्रों का अंकन करते हुए थाने की जी०डी० संख्या–46 दिनांक 25–06–2022 समय 22.18 बजे के आधार पर सी०डी०आर० लोकेशन व उक्त गवाह व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मोतीलाल यादव की नामजदगी गलत पाया जाना उल्लिखित किया है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विवेचक के द्वारा अभियुक्त मोतीलाल यादव का नाम विवेचना में उसकी पुत्री निधि यादव के मोबाईल नम्बर की घटना के समय अन्यत्र लोकेशन के आधार पर निकाला है।

(13)– पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित होने के उपरान्त न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी–1 अनिल यादव के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा कथन में अभियोजन कथानक के अनुरूप साक्ष्य देते हुए संक्षेप में यह भी कथन किया है कि "घटना दिनांक 30–04–2022 की है, समय करीब 11.00 बजे दिन का था, उस दिन मैं खेत से अपने घर आया तो देखा कि मेरे बाबा स्व० महातम यादव व छोटे बाबा योगेन्द्र यादव द्वारा रामजी सिंह की पत्नी मिथिला से खरीदी गयी जमीन जिसका आ०नं०–745 है, जो हम लोगों के कब्जा दखल में है.....मेरे ही गांव के सुरेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव, मोतीलाल यादव, जयशंकर यादव, विनोद यादव तथा सोनिया देवी जबरदस्ती हम लोगों की जमीन में मडई छा रहे थे। मैंने मड़ई छाने से मना किया, उस पर उपरोक्त मोतीलाल, रविन्द्र वगैरह माधरचोद व बहनचोद की गालियां देने लगे। मैंने उपरोक्त लोगों को गाली देने से मना किया तो मोतीलाल, रविन्द्र, सुरेन्द्र और जयशंकर, सोनिया देवी, विनोद मुझे लात, मुक्का, थप्पड़ से मारकर गिरा दिये। मेरे बाबा योगेन्द्र यादव मुझे बचाना चाहे तो मोतीलाल ललकार कर कहे कि साले को जान से मार दो, इतने पर रविन्द्र यादव फरसा से मेरे बाबा को सिर पर मार दिये, जिससे बाबा का सिर फट गया और वहीं पर गिर गये। मेरे बाबा के गिरने पर उपरोक्त मुल्जिमान मोतीलाल, जयशंकर सुरेन्द्र, विनोद, रविन्द्र, सोनीया देवी लाठी डंडा लात मुक्का से मारने लगे.....मैंने गाड़ी की व्यवस्था करके अपने बाबा को गम्भीर स्थिति में बलिया भेजा और घटना की रिपोर्ट टाईप कराकर उसको पढ़कर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना उभांव पर दिया। यह तहरीर पत्रावली पर शामिल का०सं० 4क/3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में प्रदर्शांकित कराया है तथा यह भी कथन किया है कि बाबा का बी०एच०यू० ट्रामा सेण्टर वाराणसी में ईलाज चल रहा था और ईलाज के दौरान दिनांक 03–05–2022 को उसके बाबा की मृत्यु मुल्जिमान द्वारा पहुंचाई गयी चोटों के कारण हो जाने के मृत्यु की सूचना का०सं० 14क/59 अपने चाचा दयाशंकर से बोलकर लिखवाये जाने का कथन करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में प्रदर्शांकित कराया गया है।"

(14)– इसी प्रकार अभियोजन साक्षी–2 संजय यादव के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षा में संक्षेप में यह भी कथन किया गया है कि " दिनांक 30–04–2022 को समय लगभग

11.00 बजे दिन में मेरे चचेरे भाई अनिल उर्फ शैलेन्द्र यादव के चिल्लाने की आवाज आयी, जिस पर मैं दौड़कर घर से बाहर आया तो देखा कि मोतीलाल, सुरेन्द्र, रविन्द्र, जयशंकर, विनोद व सोनिया देवी मेरे आराजी नं० 745 में मड़ई छा रहे थे। जब मेरे चचेरे भाई अनिल ने मना किया तो उपरोक्त लोगों द्वारा उसे मारकर घायल कर दिया गया। मेरे भाई को बचाने मेरे चचेरे बाबा जोगिन्द्र यादव गये तो मोतीलाल ने ललकारते हुए अन्य लोगों से कहा कि इसे जान से मार दो, इतने पर रविन्द्र यादव अपने हाथ में लिये फरसा से मेरे बाबा के सिर पर वार कर दिये, जिससे उनका सिर फट गया और गिरकर बेहोश हो गये। उनके गिरने के बाद उपरोक्त मुल्जिमान मोतीलाल, सुरेन्द्र, रविन्द्र, जयशंकर, विनोद व सोनिया देवी ने लाठी–डंडा लात मुक्का से मारने लगे.....जिला अस्पताल बलिया के डॉक्टर ने मेरे बाबा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए ट्रामा सेण्टर बी०एच०यू० वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां ईलाज के दौरान बाबा योगेन्द्र यादव की दिनांक 03–05–2022 को मृत्यु हो गयी, मेरे बाबा योगेन्द्र यादव की मृत्यु मुल्जिमान मोतीलाल, सुरेन्द्र, रविन्द्र, जयशंकर, विनोद व सोनिया देवी द्वारा पहुंचायी गयी चोटों के कारण हो गयी। इस साक्षी ने दरोगा जी द्वारा दिनांक 03–05–2022 को तैयार किये गये पंचायतनामा को दरोगा जी के लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने तथा इस पर अपने अलावा पंचायतनामा के अन्य गवाहों के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में प्रदर्शांकित कराया है।"

(15)– इसी प्रकार अभियोजन साक्षी–3 सन्ध्या देवी के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षा में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि " घटना दिनांक 30–04–2022 को करीब 11.00 बजे दिन की है। मेरे चचेरे भतीजे अनिल के चिल्लाने पर आवाज सुनकर मेरे पिता योगेन्द्र यादव घर से दौड़कर बाहर गये, उनके पीछे मैं भी गयी। मेरे गांव के रविन्द्र, जयशंकर, विनोद, सोनिया, मोतीलाल, सुरेन्द्र मेरे भतीजे अनिल उर्फ शैलेन्द्र यादव को मारपीट रहे थे और गालियां दे रहे थे। मेरे पिता जी ने शैलेन्दर को बचाने का प्रयास किया, तब मोतीलाल ने ललकारा और अन्य गालियां दी तथा कहा कि साले को जान से मार दो, इतने पर रविन्द्र यादव ने उसके पिता योगेन्द्र यादव पिता के सिर पर फरसे से वार कर दिया.....वह तुरन्त बेहोश होकर गिर गये, उसके बाद रविन्द्र, जयशंकर, विनोद, सोनिया, मोतीलाल, सुरेन्द्र उसके पिता जी को लाठी–डंडा लात मुक्का से मारने लगे।"

(16)– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवेचक के द्वारा केस डायरी पर प्रथम दृष्टया **निधि यादव पुत्री मोती लाल यादव के एयरटेल मोबाईल नम्बर 8009334771 का घटना के समय बस स्टैण्ड बलिया के लोकेशन** तथा थानाध्यक्ष उभांव, बलिया को सम्बोधित शपथ–पत्र के आधार पर मामले में तमाम मौलिक तथा प्रत्यक्ष साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अज्ञात कारणों से नामित अभियुक्त मोतीलाल यादव का नाम विवेचना में निकालते हुए उसे क्लीनचिट दे दी है। विवेचक द्वारा मोतीलाल यादव के नाम से निर्गत किसी मोबाईल नम्बर को साक्ष्य से संकलित करने का कोई प्रयास किया जाना दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मोती लाल यादव की अन्यत्र उपस्थिति के सम्बन्ध में उसका हस्ताक्षर, अन्य कोई प्रलेखीय साक्ष्य, सी०सी०टी०वी० फुटेज आदि का कोई सुसंगत साक्ष्य संकलन ना किया जाना भी दर्शित होता है।

(17)– पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समस्त प्रलेखीय, मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर, इस स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के नामित अभियुक्त मोतीलाल यादव को प्रथम दृष्टया धारा–147, 148, 149, 323, 308, 304, 504, 506 भा०दं०सं० से दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब करने के लिए पर्याप्त अभियोजन सामग्री उपलब्ध है। अतः वादी मुकदमा अनिल यादव का प्रार्थना पत्र–63 ख अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा अनिल यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–63 ख अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त मोतीलाल यादव को धारा–147, 148, 149, 323, 308, 304, 504, 506 भा०दं०सं० से दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिये समन तलब किया जाता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त मोतीलाल यादव दिनांक **<u>30–06–2025</u>** को पेश हो।

(प्रमोद कुमार गंगवार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–4
बलिया।

Steno–Aditya Gupta